



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032021-225904
CG-DL-E-15032021-225904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942

No. 1108]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

का.आ. 1196(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1017 (अ), तारीख 6 मार्च, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 6 मार्च, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिला में स्थित है और 73.69 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, क्षेत्र में उच्च जीवजंतु और वनस्पति विविधता जैविक प्रांत “दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र के 6 बी- केंद्रीय पठार” का प्रतिनिधित्व करता है और जंगली पशुओं की वृहत् संख्या, 75 पक्षी प्रजातियों और अन्य जैव-विविधता जैसे सरीसृप, अथोरोपोडस्, कवक आदि को आश्रय प्रदान करता है;

और, क्षेत्र के वनस्पति प्रकार दक्षिणी उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत और इस क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजाति सागौन है जिसमें प्रजातियाँ जैसे अचार, (बुचेनिया लजानन, स्प्रेंग), ऐन / साजा (टर्मिनलिया टोमेंटोसा, डब्ल्यू.

एंड ए.), अली (मोरिंडा टिनक्टोरिया), अमलतास (कैसिया फिस्टुला), अमृता (बाउहिनिया मालाबारिका, रोक्सब.), अओला, आवला (इम्बेलिका ऑफिसिनैलिस, लिन्न.), अप्टा (बाउहिनिया रेसमोसा, लामक.), अर्जुन (कुहू) (टर्मिनलिया बेल्लेरिका), बेहेडा (टर्मिनलिया बेलेरिका, बॉक्सब.), बीबा (भीलवा) (सेमेकारपूस एनाकार्डियम), बिजा (पर्टोकार्पस मार्सुपियम), बेर / बोर (ज़िज़िपस मौरिटिअना, लामक.), चंदन (संतालुम एल्बम), चिचवा (एल्बजिया ओडोरातिसीमा), चिंच (टैमारिडस इंडिका), दहिबारस (कॉर्डिया मैकलोडी), धौडडा/धवाडा (एनोगेइसस लैटिफोलिया, वाल्ल.), धामन (ग्रेविया टीलिफोलिया, वाल्ल.), धोबन (डालबर्गिया पैनकिलाटा, रोक्सब.), घोटी/घोटबोर (जिजफस जिलोपारा, यिल्ड.), हल्दु (एडिना कॉर्डिफोलिया), हिवार (अकैशिया लेउकोफिइया, वाइल्ड.), हिंगन (बालेनिटेस केगयपतिया, डेल.), जामुन (सिजेगियम क्यूमिनि, लिन्नस.स्कीलस.), करंज (पोंगामिया पिन्नता), करू (कासिया स्यामिया), खैर (अकैशिया कटेचु, वाइल्ड.), कुसुम (स्लेइचीरा ओलेओसा), लेंडिया/सेहना (लागेरस्ट्रोमिया परविफ्लोरा, रॉक्सब.), नीम (अज़ादिरचता इंडिका. लिन्न.), मोहा (माहूवा) (मधुका लॉगिफोलिया), मोयेन (मूवाइ) (लानिया कोरोमंडलिका), पीपल (फिकस रेलिगिओसा), पलास (ब्यूटिया मोनोस्पर्म, लामक.), साग / सागवान / सागौन (टेक्टोना ग्राडिस), साजा (एइन) (टर्मिनलिया अलाटा), सिरस (सफ़ेद) (एल्बजिया प्रोकेरा), सलाई (बोस्वालिया सेरंटा, रॉक्सब.), सिस्सो (डालबर्गिया सिस्सो), सीताफल (डालबर्गिया सिस्सो), तेंदू (डायोस्पायरस मेलानोक्सिलोन, रोक्सब.), टिवासा (तिनसा) (ओगेनिनिया ओजिनैसिस), आदि शामिल हैं और संरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य झाड़ियां हैं जिसमें कूदा (इस्चामम पिलोसम), बहावा (कैशिया फिस्टुला), अपटा (बउहीनिया रेकेमोसा), निर्गुंडी (वितेक्स नेगुंडो), बाहाराती (गयमनोस्पोरिया स्पिनोसा) शामिल हैं और वन के अंतर्गत घासें जैसे मार्वल (एंड्रोपोगोन एनालाटस), गोंडेल, पवनया, (स्चिमा सुलकेतुम), आदि हैं;

और, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य जीवजंतु हनुमान लंगूर (प्रेसबाइट्स इंटेल्लस, दूप.), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस, गुल्ड.), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), सामान्य नेवला (हर्पेस्टेस एडवर्ड्स, गेओ.), धारीधार लकड़बग्घा (ह्येना ह्येना, लिन्न.), भेड़िया (कैनिस लुपुस, लिन्न.), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), फुलबौस फ्रूट बात (रोउसेट्टुस लेस्चेनाउलटी, डेस.), श्री स्ट्रिपेड पाम गिलहरी (फुनाम्बुलुस पालमारूम, लिन्न.), भारतीय फाइलड मिके (मुस ब्रूडगा, ग्रेय.), सामान्य हाउस रेट (रट्टुस रट्टुस, लिन्न.), बांडिकूट रेट (बांडिकोटा इंडिका, बेच.), भारतीय साही (ह्यस्ट्रिक्स इंडिका, केर.), रूफूड फोस्टाइलेंड खरगोश (लेपुस निगरीकोल्लिस कुव.), ब्लू बुल/नीलगाय (बोसेलाफस ट्रागोसेमेलस, पाल्ल.), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), इरक्स.), मुंजक (मुनटीक्स मुनतजक, जिम्म.), भारतीय बनैला सूअर (सस स्क्रोफा, लिन्न.), भारतीय साल (मानिस क्रैसिकाउडाटा, ग्रेय.), आदि अभिलिखित हैं;

और, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य पक्षियों में ग्रे बगुला (अरदेया किनेरिया), तालाब बगुला (अरदेओला गरायी), मवेशी इग्रेट (बुबुलकुस इबिस), लिटिल इग्रेट (एग्रेटा गारज़ेटा), लिटिल कॉमॉरेंट (फेलाक्रोसैक्स निगर), ओपन बिल्ड स्टॉक (अनासटोमस ओस्किटनस), वाइट नेकड स्टॉक (सिसोनिया एपिस्कोपस), काला इबिस (पसेउडीबीस पपिल्लोसा), ब्राह्मणी बत्तख (टडोर्ना फेरुगिनिया), ब्लैकविंगड काइट (इलानस केइरूलेउस), शिकरा (एक्सीपिटेर बाडीउस), ग्रे तीतर (फ्रैंकोलिनस पॉन्डिसरियस), सामान्य मटरमुर्गा (पावो क्रिस्टेटस), डेमोइसेल्ला क्रेन (एंथोरपोइदेस विगो), रेडवाटलड लैपविंग (वनेल्लुस इंडिकस), सामान्य सैंडपिपर (ट्रिंगार हाइपोलुकोस), वाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन (अमानरोर्निस फोइनिकरुस), ब्लैक-विंगड स्टिल्ट (हिमांतोपुस हिमांतोपुस), ब्लू रॉक कबूतर (कोलुम्बा लिविया), भारतीय रिंग कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया डेकओकटो), रेड टर्टल कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया), स्पोट्टेड कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया किनैसिस), ग्रीन कबूतर (ट्रेरोन फोइनिकोपेटेरा), अलेक्जेंड्रिन पराकेट (पसिट्टाकुला यूपटरिया), रोज-रिंगड पाराकीट (पसिट्टाकुला करामेरी), ब्लॉसम-हेडेड पाराकीट (पसिट्टाकुला कयनोसेफला), ब्रेन फीवर बर्ड (कुकुलुस वरिओउस), क्रो-तीतर (सेंट्रोपस साइनैसिस), चितकबरा किंगफिशर (केरयले रूडीस), वाइट-ब्रेस्टेड किंगफिशर (हैलियोन स्माइरेन्सिस), छोटा ब्लू किंगफिशर (हैलिसन एथिस), छोटा ग्रीन बी-ईटर (मेरोपस ओरिइंटलिस), चिस्तनुत हेडेड बी-ईटर (पेरोप्स लेचनोवाली), भारतीय रोलर (कोरैकियस बेंगालेंसिस), हूपो (उपुपा इपोपा), भारतीय निघटजार (कपरिमुल्लुस एशियाटिकस), भारतीय ग्रे हॉर्नबिल (टोकुकुस विरोस्ट्रीस), कोप्परस्मिथ (मेगालाइमा हेमाचेफाला), गोल्डन-बैकेड कठफोड़वा (डिनोपिउम बेंगालेंसे), येलो-फ्रॉटिड विचित्र कठफोड़वा (पिकोइडेस महाराट्टेंसिस), पिगमय कठफोड़वा (पिकोइडेस ननुस), रेड-विंगड बुश लार्क (मिराफेरा एरीथ्रोप्टेरा), क्रेस्टेड लार्क (गलेरीदा क्रिस्टता), रूफोस्टाइलेंड फिच लार्क (अम्मोमानस फोइनिकरुस), विरटैलेड स्वालो (हीरूनदो स्मिथी), ग्रे श्रीके (लनिउस इक्कुविटोर), बे-बैकेड श्रीके (लनिउस विटाटुस), रूफोउस-बैकेड श्रीके (लनिउस स्काच), ब्लैक ड्रांगो (डिकुरुस अडसिमिलिस), ब्लैक-हेडेड मैना (स्टरनुस पगोडारिम), विचित्र मैना (स्टरनुस कोंटरा), भारतीय मैना (अरीडोथेरेस), भारतीय ट्री पिड (डेंड्रोसिट्टा वागबुंदस), लोरा (ऐगिथिना तिपहिया), रेड-वेंटेड बुलबुल (पिक्रोतोउस काफेर), मागपिया रोबिन (कोप्चुस सउलारिस), भारतीय रोबिन (सेक्सिकोलाइंडेसफुलिकता), ब्लैक

रेडस्ट्रारक (फोइनिकुरुस), ब्राउन रॉक चाट (क्रेसोमेला फुस्का), जंगल बब्ब्लर (तुरडोइडेस स्ट्रिएटस), पैराडाईड फ्लाइकैचर (टेरिसिपोन पैराडाइस), वाइट-स्पोट्टेड फनटैल फ्लाइकैचर (फिपिदुरा अलबिकोल्लिस), टेलर बर्ड (ओर्थोटोमस सुटोरियस), डुल्ल-ग्रीन लीफ वार्वलर (फीलोस्कोपस ट्रिकिलोइडस), थिक-बिल्लेड वार्वलर (आक्रोसेफालुस अइडोन), येलो-हेडेड वैगटेल (मोटाकिल्ला किटेरोला), चितकबरा वैगटेल (मोटाकिल्ला किनेरिया), वाइट और चितकबरा वैगटेल (मोटाकिल्ला अलबा दुखुनेन्सिस), येलो वैगटेल (मोटाकिल्ला फलावा), पर्पल-रुमपैड सनबर्ड (नेक्टारनिअ जेलोनिका), पर्पल सनबर्ड (नेक्टारनिया एशियाटिका), वाइट थ्रोटेड मुनिया (लोनचुरा मालावरिका), ब्लैक-हेडेड बंटिंग (इम्बेरेजा मेलोनोकेफाला), चित्तीदार उल्लू (एठने ब्रमा), स्कारलेट मिनिवेट (पेरिकरोकोटस फलाम्मेउस), आदि पाए जाते हैं;

और, अभयारण्य में तितलियों और मकड़ियों की प्रजातियां स्पाट स्वोर्डटेल (पाथिसा नोमिउस), क्रिमसन रोज (टरोस हेक्टर), सामान्य रोज (टरोस अरिस्टोलोचिए), ब्लूस मोरमोन (पपिलिओ पॉलीमनेस्टोर), सामान्य मोरमोन (पपिलिओ पोलयटेस), लाइम बटरफ्लाई (पपिलिओ डेमोलेउस), सामान्य मिमे (चिलसा सिल्टिया), सामान्य जजेबेल (डेलीस यूचरिस), पिओनिर (अनाफेइस ओरोटा), वाइट ऑरेंज टीप (लक्सअस), येलो ऑरेंज टीप (लक्सअस पैरेना), ग्रीन ऑरेंज टीप (हेबोमोइया गलाउकिप्पे), सामान्य गुल्ल (केपोरा नेरिस्सा), सामान्य इमिग्रंट (कैटोप्सिलिया क्रोकेल), मोटेड इमीग्रेंट (कैटोप्सिलिया पाइरन्थे), स्पोटलेस्स ग्रास्स येलो (टेरिअस लेता), सामान्य ग्रास येलो (टेरिअस हेकाबे), सामान्य अकाकिया ब्लू (सूरेंद्रा क्रैसेटोरूम), सामान्य भारतीय रेड फलास (रापाला मेलाप्पुस), सामान्य पिएर्रोत (कस्टालिउस रोसिमोन), ग्राम ब्लू (यूक्रिस्टॉप्स कनेजस), सामान्य सेरुलियन (जामिदेस केलेना), ग्रास जवेल (फरेयेरिया टरोचिलुस), सामान्य हेज ब्लू (अकेटोलेपिस पुस्पा), सामान्य बुश ब्राउन (मैकलेसिस पेरसेउस), डार्क बैंड बस ब्राउन (मैकलेसिस मिनेउस), सामान्य फिवेरिंग (यपथिमा बाल्डस), निग्गेर (ओरसोटरिओनिया मेडस), तवनय राजाह (चरक्स पॉलीक्सेना), ब्लैक राजाह (चरक्स फेबियस), बैरोनेट (यूथालिया नइस), कम्मांडर (मोदुजा प्रोकरीस), ग्रेट इग्गफ्लाय (हायपोलिमनास बोलिना), डानइड इग्गफ्लाय (हायपोलिमनास मिसिप्पुस), येलो पैन्सी (पेरकिस हिड्रग्रेट), ग्रेय पंसय (पेरकिस अटलितेस), अंगलेडकास्टर (इरगोलिस अरियादेन), तावन्य कोस्टर (टेलचिनिया विओलाइ), पलाइन बाघ (डनाउस चरयसिप्पुस), सामान्य क्रौ (यूप्लोइया कोर), सामान्य बैंडेड अवल (हसोरा एलेक्सि), सामान्य अवल (हसोरा बाद्रा), डार्क पाल डार्ट (एस्टचस पायथियस), ग्रास डेमोन (उदासपस फुलुस), भारतीय स्किपर (स्पिअलिया गलबा), सामान्य रेडया (मातापा अरिया), सामान्य डार्टलेट (ओरिस गोलोइडेस), ब्लैक स्विफ्ट (कलटोरिस कुमारा), वॉल ऑर्ब (ऐरनस बिलुनिफर), लीफ रिट्रीट ऑर्ब (नेओस्कोना रूमफी), गेंट बुड स्पाइडर (नेफिला मैकुलाटा), ब्लैक बुड स्पाइडर (नेफिला कुहली), येलो क्लब (चिरकेनथियम मेलानोस्टोमा), एशिए सोशल स्पाइडर (स्टेगोडिफस सारासिनोरूम), फन्नेल भेडिया (हिप्पासा एगलेओइडेस), टन्नेल भेडिया (लाइकोसा इंडैगेट्रिक्स), जेबरा जमपर (प्लेक्सिपस पेकुल्ली), लॉन्ग-लेग्गड स्ट्रॉव (इयक्टा जवाना), आदि पाए जाते हैं;

और, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के अकोला और वाशिम जिला के काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 6.30 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 6.30 किलोमीटर तक विस्तृत होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 54.68 वर्ग किलोमीटर है।

निजी भूमि में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का न्यूनतम विस्तार 0.05 किलोमीटर रखा गया है जो अभयारण्य की सीमा के निकटवर्ती है और जहां काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग पर काटेपूर्णा बांध का तट और दीवार, काटेपूर्णा

वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के पश्चिमी भाग पर अकोला- मंगरूपीर और देवदारी-धनोरा सड़क और काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण-पूर्वी भाग पर पुर ग्राम की सीमा है।

(2) काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकन दर्शाते हुए काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक**, **उपाबंध-IIख** **उपाबंध-IIग** और **उपाबंध-IIघ** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और उनकी विधि स्थिति **उपाबंध-IVक** और **उपाबंध-IVख** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप-पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास

क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा-संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूर्ण और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय

विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा-संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
22.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	पवनचक्की और टरबाइन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
30.	नए होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।

इ. संवर्धित क्रियाकलाप

31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स.	मानीटरी समिति का गठन	पदनाम
(i)	जिला कलेक्टर, अकोला	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला कलेक्टर, वाशिम के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, अकोला और वाशिम	सदस्य;
(iv)	पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में काम करने वाले गैर-सरकारी	सदस्य;

	संगठनों के प्रतिनिधि को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है	
(v)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(viii)	शहरी योजना अधिकारी, अकोला और वाशिम	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, अकोला वन प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्वधीन होंगे।

[फा. सं. 25/36/2017-ईएसजेड]

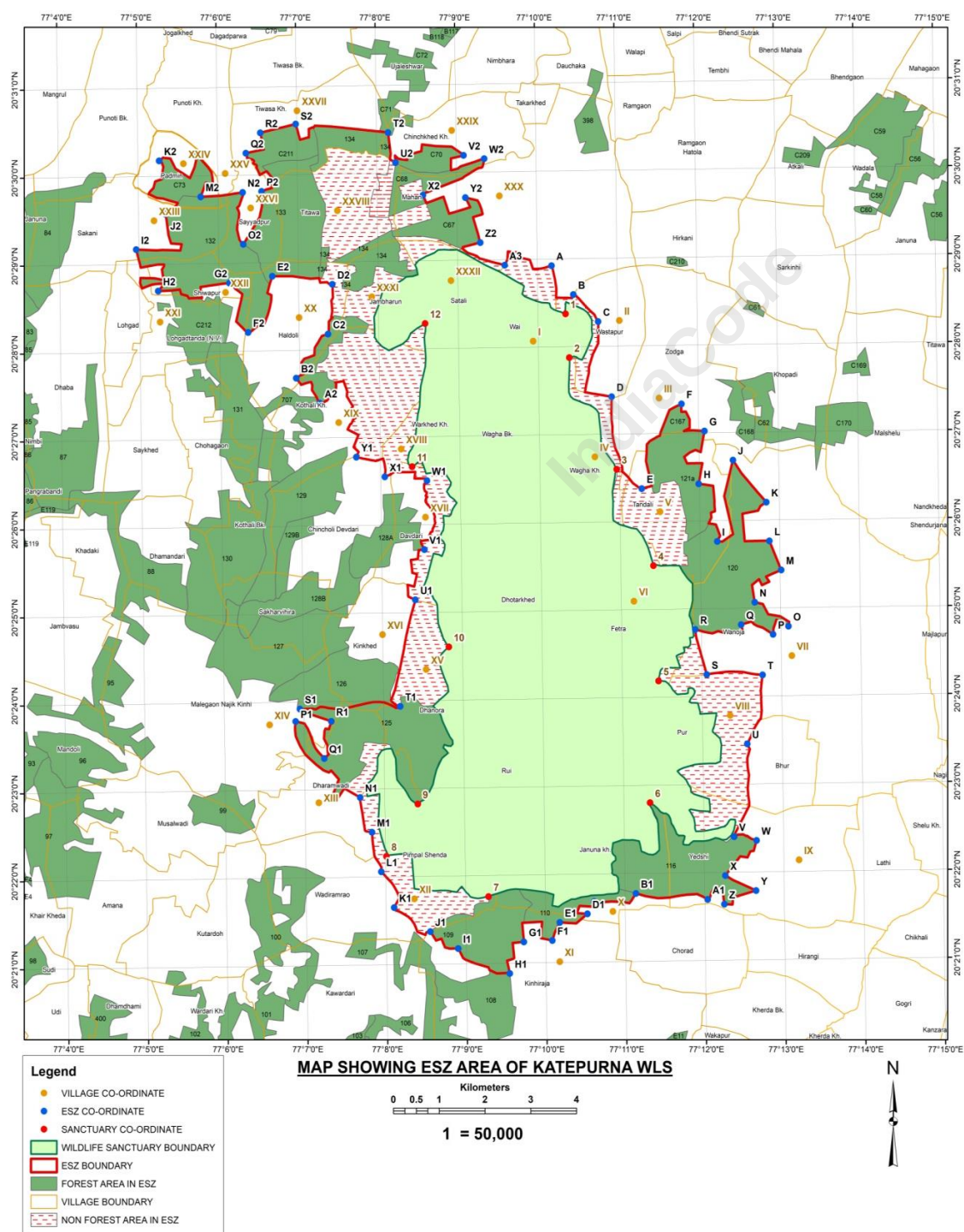
डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

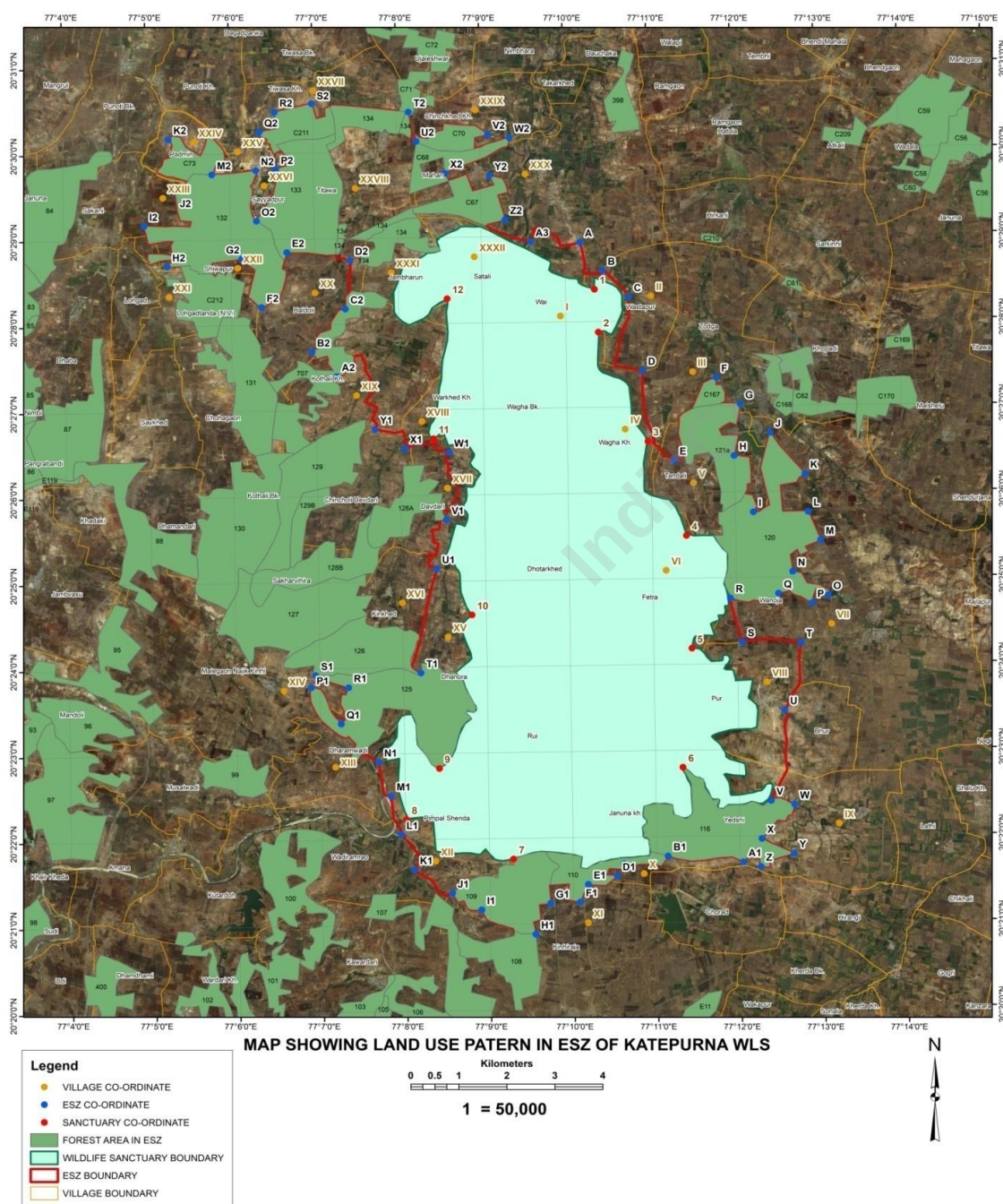
महाराष्ट्र राज्य में काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दिशाएं	सीमा विवरण
उत्तर	अकोला वन संभाग –50 से 2700 मीटर वन एवं गैर-वन क्षेत्र वास्तापुर उप-सड़क के साथ, काटेपूर्णा जलाशय बांध रेखा, कम्पार्ट सं.134 की सीमा।
पूर्व	अकोला वन संभाग – 50 से 2200 मीटर वन एवं गैर वन क्षेत्र वास्तापुर ग्राम की क्र.सं: 43,23,24,47,35,36 का पूर्वी भाग वई ग्राम की क्र.सं.9, महान से शेलू सड़क के साथ, कम्पार्ट सं.120 की सीमा, भूर और पूर ग्राम की ग्राम सीमा पूर्वी भाग, येदशी ग्राम के क्र.सं.19 का पूर्वी भाग।
दक्षिण	अकोला वन संभाग – 125 से 1900 मीटर वन एवं गैर वन क्षेत्र कम्पार्ट सं. 116,110,109, की सीमा, जोगलडेरी से पिम्पलशेंदा सड़क के साथ एवं पिम्पलशेंदा नाला के साथ।
पश्चिम	अकोला वन संभाग – 110 से 6300 मीटर वन एवं गैर वन क्षेत्र काटेपूर्णा नदी के साथ, कम्पार्ट सं. 125 की सीमा, देवदारी-वरखेड-कोथली-जमभरून-चौफुल्ला सड़क के साथ।

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के वन और गैर वन क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र

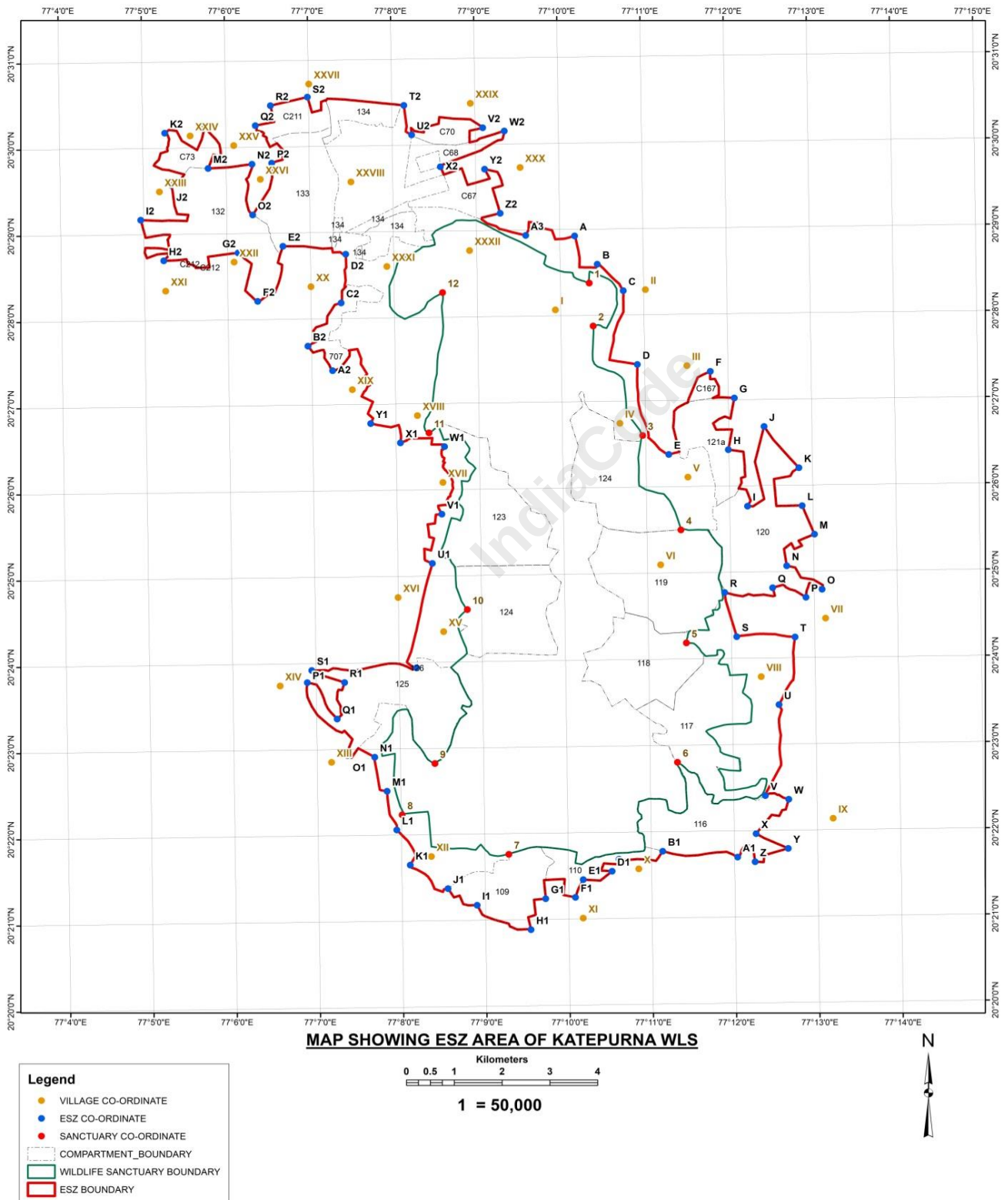


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र



उपाबंध-IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध- III

सारणी क: काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

नोड बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	77° 10' 20.8"	20° 28' 22.6"
2	77° 10' 23.2"	20° 27' 52.7"
3	77° 10' 57.8"	20° 26' 36.0"
4	77° 11' 24.5"	20° 25' 30.0"
5	77° 11' 27.3"	20° 24' 11.3"
6	77° 11' 19.7"	20° 22' 48.3"
7	77° 09' 17.3"	20° 21' 45.8"
8	77° 08' 00.8"	20° 22' 14.1"
9	77° 08' 24.9"	20° 22' 49.6"
10	77° 08' 49.7"	20° 24' 36.5"
11	77° 08' 23.7"	20° 26' 39.7"
12	77° 08' 34.9"	20° 28' 17.3"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

नोड बिंदु	देशांतर	अक्षांश
ए	77° 10' 10.7"	20° 28' 55.5"
बी	77° 10' 26.8"	20° 28' 35.7"
सी	77° 10' 45.3"	20° 28' 17.0"
डी	77° 10' 54.7"	20° 27' 25.6"
ई	77° 11' 16.5"	20° 26' 22.6"
एफ	77° 11' 47.2"	20° 27' 20.1"
जी	77° 12' 04.2"	20° 27' 01.3"
एच	77° 11' 59.4"	20° 26' 25.4"
आई	77° 12' 12.8"	20° 25' 45.9"
जे	77° 12' 25.5"	20° 26' 41.2"
के	77° 12' 50.2"	20° 26' 12.2"
एल	77° 12' 52.1"	20° 25' 45.7"
एम	77° 13' 00.7"	20° 25' 25.8"
एन	77° 12' 40.4"	20° 25' 04.1"
ओ	77° 13' 05.6"	20° 24' 47.4"
पी	77° 12' 53.9"	20° 24' 42.0"
क्यू	77° 12' 30.1"	20° 24' 48.9"
आर	77° 11' 55.4"	20° 24' 46.0"

एस	77° 12' 03.6"	20° 24' 15.2"
टी	77° 12' 45.6"	20° 24' 14.4"
यू	77° 12' 33.4"	20° 23' 27.5"
वी	77° 12' 22.7"	20° 22' 24.3"
डब्ल्यू	77° 12' 39.5"	20° 22' 21.5"
एक्स	77° 12' 15.7"	20° 21' 57.9"
वाई	77° 12' 38.7"	20° 21' 47.4"
जेड	77° 12' 14.7"	20° 21' 38.3"
ए1	77° 12' 02.1"	20° 21' 41.7"
बी1	77° 11' 08.2"	20° 21' 46.5"
सी1	77° 10' 36.7"	20° 21' 41.4"
डी1	77° 10' 31.6"	20° 21' 33.1"
ई1	77° 10' 10.7"	20° 21' 27.4"
एफ1	77° 10' 04.9"	20° 21' 15.2"
जी1	77° 09' 43.5"	20° 21' 14.5"
एच1	77° 09' 32.6"	20° 20' 53.1"
आई1	77° 08' 53.9"	20° 21' 10.6"
जे1	77° 08' 33.1"	20° 21' 22.4"
के1	77° 08' 06.1"	20° 21' 39.1"
एल1	77° 07' 56.7"	20° 22' 03.7"
एम1	77° 07' 50.1"	20° 22' 30.7"
एन1	77° 07' 41.5"	20° 22' 54.5"
ओ1	77° 07' 21.9"	20° 22' 55.8"
पी1	77° 06' 53.6"	20° 23' 47.0"
क्यू1	77° 07' 14.8"	20° 23' 21.4"
आर1	77° 07' 20.5"	20° 23' 46.8"
एस1	77° 06' 57.0"	20° 23' 55.4"
टी1	77° 08' 12.5"	20° 23' 56.4"
यू1	77° 08' 24.9"	20° 25' 08.9"
वी1	77° 08' 32.3"	20° 25' 43.1"
डब्ल्यू1	77° 08' 34.8"	20° 26' 30.0"
एक्स1	77° 08' 03.1"	20° 26' 33.1"
वाई1	77° 07' 41.8"	20° 26' 46.8"
जेड1	77° 07' 36.0"	20° 27' 17.4"
ए2	77° 07' 14.9"	20° 27' 23.9"
बी2	77° 06' 57.2"	20° 27' 41.2"

सी2	77° 07' 21.6"	20° 28' 10.9"
डी2	77° 07' 25.4"	20° 28' 44.9"
ई2	77° 06' 40.2"	20° 28' 50.9"
एफ2	77° 06' 21.4"	20° 28' 12.8"
जी2	77° 06' 07.7"	20° 28' 46.7"
एच2	77° 05' 14.1"	20° 28' 41.8"
आई2	77° 04' 57.8"	20° 29' 10.3"
जे2	77° 05' 20.2"	20° 29' 34.3"
के2	77° 05' 16.0"	20° 30' 10.7"
एल2	77° 05' 44.6"	20° 30' 14.4"
एम2	77° 05' 46.9"	20° 29' 45.7"
एन2	77° 06' 18.6"	20° 29' 48.3"
ओ2	77° 06' 18.6"	20° 29' 13.0"
पी2	77° 06' 32.9"	20° 29' 48.9"
क्यू2	77° 06' 21.4"	20° 30' 15.1"
आर2	77° 06' 32.5"	20° 30' 28.9"
एस2	77° 06' 59.2"	20° 30' 34.6"
टी2	77° 08' 08.7"	20° 30' 27.9"
यू2	77° 08' 14.1"	20° 30' 07.4"
वी2	77° 09' 05.4"	20° 30' 11.7"
डब्ल्यू2	77° 09' 21.0"	20° 30' 09.2"
एक्स2	77° 08' 34.5"	20° 29' 44.9"
वाई2	77° 09' 06.4"	20° 29' 42.8"
जेड2	77° 09' 17.2"	20° 29' 12.0"
ए3	77° 09' 35.4"	20° 28' 56.3"

उपाबंध- IVक

भू-निर्देशांकों के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	नोड बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	वाई	बरशीताकली	अकोला	I	77° 09' 56.2"	20° 28' 04.2"
2	वास्तापुर	बरशीताकली	अकोला	II	77° 11' 01.2"	20° 28' 17.5"
3	जोदगा	बरशीताकली	अकोला	III	77° 11' 30.4"	20° 27' 24.3"
4	वाघा खह.	बरशीताकली	अकोला	IV	77° 10' 41.5"	20° 26' 44.7"
5	तंडालि	मंगरूलपीर	वाशिम	V	77° 11' 30.0"	20° 26' 06.7"
6	फेतरा	बरशीताकली	अकोला	VI	77° 11' 09.6"	20° 25' 05.9"

7	वानोजा	मंगरूलपीर	वाशिम	VII	77° 13' 07.9"	20° 24' 27.3"
8	पुर	मंगरूलपीर	वाशिम	VIII	77° 12' 20.9"	20° 23' 47.1"
9	येदशी	मंगरूलपीर	वाशिम	IX	77° 13' 11.4"	20° 22' 08.0"
10	जनुना खह	मंगरूलपीर	वाशिम	X	77° 10' 50.8"	20° 21' 34.5"
11	किंहीराजा	मालेगांव	वाशिम	XI	77° 10' 10.3"	20° 21' 00.7"
12	पिम्पलशेंदा	मालेगांव	वाशिम	XII	77° 08' 21.4"	20° 21' 44.9"
13	धरमवाडी	मालेगांव	वाशिम	XIII	77° 07' 10.4"	20° 22' 51.3"
14	मालेगांव नाजिककिंही	मालेगांव	वाशिम	XIV	77° 06' 34.0"	20° 23' 44.9"
15	धनोरा	बरशीताकली	अकोला	XV	77° 08' 32.4"	20° 24' 21.3"
16	किंखेड	बरशीताकली	अकोला	XVI	77° 07' 59.9"	20° 24' 45.4"
17	देवदारी	बरशीताकली	अकोला	XVII	77° 08' 33.3"	20° 26' 05.1"
18	वारखेड खह	बरशीताकली	अकोला	XVIII	77° 08' 15.6"	20° 26' 51.9"
19	कोथाली खह	बरशीताकली	अकोला	XIX	77° 07' 28.9"	20° 27' 10.5"
20	हलदोली	बरशीताकली	अकोला	XX	77° 07' 00.0"	20° 28' 22.5"
21	लोहगाध एन.वी	बरशीताकली	अकोला	XXI	77° 05' 15.2"	20° 28' 20.7"
22	शिवापुर	बरशीताकली	अकोला	XXII	77° 06' 04.8"	20° 28' 40.3"
23	सकनी	बरशीताकली	अकोला	XXIII	77° 05' 11.6"	20° 29' 29.8"
24	पदमिन	बरशीताकली	अकोला	XXIV	77° 05' 34.3"	20° 30' 08.6"
25	पुनोटी खह	बरशीताकली	अकोला	XXV	77° 06' 05.6"	20° 30' 01.5"
26	सय्यदपुर	बरशीताकली	अकोला	XXVI	77° 06' 24.5"	20° 29' 37.7"
27	तिवासखह	बरशीताकली	अकोला	XXVII	77° 07' 00.3"	20° 30' 43.6"
28	तितवा	बरशीताकली	अकोला	XXVIII	77° 07' 29.9"	20° 29' 35.1"
29	चिंचखेड खह	बरशीताकली	अकोला	XXIX	77° 08' 56.8"	20° 30' 28.8"
30	महाना	बरशीताकली	अकोला	XXX	77° 09' 32.0"	20° 29' 43.7"
31	जामभरून	बरशीताकली	अकोला	XXXI	77° 07' 55.0"	20° 28' 36.0"
32	सताली	बरशीताकली	अकोला	XXXII	77° 08' 54.8"	20° 28' 46.3"

उपाबंध- IVख

भू-निर्देशांकों के साथ काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की वैश्विक स्थिति की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तालुका	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में			श्रेणी का नाम
				वन (रिज़र्व वन)	गैर वन	कुल क्षेत्र	
1	जनुना खह	मंगरूलपीर	वाशिम	257.64	0.00	257.64	करंजा
2	किंहीराजा	मालेगांव	वाशिम	207.22	0.00	207.22	मालेगांव
3	किंखेड	बरशीताकली	अकोला	9.04	0.00	9.04	बरशीताकली
4	कोथाली खह	बरशीताकली	अकोला	49.87	364.01	413.88	बरशीताकली
5	महान	बरशीताकली	अकोला	152.56	59.32	211.88	बरशीताकली
6	मालेगांव नाजिक किंही	मालेगांव	वाशिम	32.86	0.00	32.86	मालेगांव
7	चिंचखेड खह	बरशीताकली	अकोला	79.35	0.00	79.35	बरशीताकली
8	धरमवाडी	मालेगांव	वाशिम	153.15	41.22	194.37	मालेगांव
9	हलदोली	बरशीताकली	अकोला	118.54	40.36	158.90	बरशीताकली
10	जमभरून	बरशीताकली	अकोला	89.07	82.29	171.36	बरशीताकली
11	लोहगाध एन.वी	बरशीताकली	अकोला	19.01	0.00	19.01	बरशीताकली
12	पदमिन	बरशीताकली	अकोला	107.32	0.00	107.32	बरशीताकली
13	पिम्पलशेंदा	मालेगांव	वाशिम	53.15	196.82	249.97	मालेगांव
14	पुनोटी खह	बरशीताकली	अकोला	3.40	0.00	3.40	बरशीताकली
15	साकनी	बरशीताकली	अकोला	119.05	0.00	119.05	बरशीताकली
16	सय्यदपुर	बरशीताकली	अकोला	159.82	0.00	159.82	बरशीताकली
17	शिवापुर	बरशीताकली	अकोला	122.65	0.00	122.65	बरशीताकली
18	तंडाली	मंगरूलपीर	वाशिम	268.60	179.26	447.86	करंजा
19	तितवा	बरशीताकली	अकोला	215.87	307.32	523.19	बरशीताकली
20	तिवासा खह	बरशीताकली	अकोला	193.08	0.00	193.08	बरशीताकली
21	वानोजा	मंगरूलपीर	वाशिम	321.41	38.13	359.54	करंजा
22	येदशी	मंगरूलपीर	वाशिम	200.11	63.08	263.19	करंजा
23	जोदगा	बरशीताकली	अकोला	39.93	4.95	44.88	बरशीताकली
24	धनोरा	बरशीताकली	अकोला	168.87	178.65	347.52	बरशीताकली
25	देवदारी	बरशीताकली	अकोला	0.00	119.61	119.61	बरशीताकली
26	फेतरा	बरशीताकली	अकोला	0.00	24.44	24.44	बरशीताकली
27	पुर	मंगरूलपीर	वाशिम	0.00	311.99	311.99	करंजा
28	सताई	बरशीताकली	अकोला	0.00	54.49	54.49	बरशीताकली
29	वाघा खह	बरशीताकली	अकोला	0.00	75.34	75.34	बरशीताकली

30	वाई	बरशीताकली	अकोला	0.00	84.71	84.71	बरशीताकली
31	वारखेड खह	बरशीताकली	अकोला	0.00	61.14	61.14	बरशीताकली
32	वास्तापुर	बरशीताकली	अकोला	0.00	39.66	39.66	बरशीताकली
कुल				3141.57	2326.79	5468.36	

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

S.O. 1196(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 1017 (E), dated the 6th March 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 6th March 2020;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

WHEREAS, the Katepurna Wildlife Sanctuary is located in Akola and Washim districts of Maharashtra and extends over an area of 73.69 square kilometres;

AND WHEREAS, the area has a high faunal and floral diversity representing biotic province “6 B-Central Plateau of the Deccan Peninsula Zone” and supports large number of wild animals, 75 bird species and other biodiversity such as reptiles, arthropods, fungi, etc;

AND WHEREAS, the vegetation type of the area is classified as southern tropical dry deciduous forest and teak is the dominant tree species of the region associated with species such as achar, (*Buchnanian lanzan*, Spreng.), ain / saja (*Terminalia tomentosa*, W. & A.), ali (*Morinda tinctoria*), amaltas (*Cassia fistula*), amta (*Bauhinia malabarica*, Roxb.), aola, awala (*Emblia officinalis*, Linn.), apta (*Bauhinia*

racemosa, Lamk.), arjuna (kahu) (*Terminalia bellerica*), beheda (*Terminalia belerica*, Boxb.), biba (bhilawa) (*Semecarpus anacardium*), bija (*Pterocarpus marsupium*), ber/bor (*Ziziphus mauritiana*, Lamk.), chandan (*Santalum album*), chichwa (*Albizzia odoratissima*), chinch (*Tamarindus indica*), dahibaras (*Cordia macleodii*), dhaoda/ dhawada (*Anogeissus latifolia*, Wall.), dhaman (*Grewia tilifolia*, Wall.), dhoban (*Dalbergia paniculata*, Roxb.), ghoti/ghotbor (*Ziziphus zylopara*, Yilld.), haldu (*Adina cordifolia*), hiwar (*Acacia leucophloea*, Willd.), hingan (*Balanites cegyptia*, Del.), jamun (*Syzygium cumini*, Linns. Skeels.), karanj (*Pongamia pinnata*), karu (*Cassia siamea*), khair (*Acacia catechu*, wild.), kusum (*Schleichera oleosa*), lendia/sehna (*Lagerstroemia parviflora*, Roxb.), neem (*Azadirachta indica*, Linn.), moha(mahuwa) (*Madhuca longifolia*), moyen (mowai) (*Lannea coromandelica*), pipal (*Ficus religiosa*), palas (*Butea monosperma*, Lamk.), sag/sagwan/teak (*Tectona grandis*), saja (ain) (*Terminalia alata*), sirus (white) (*Albizzia procera*), salai (*Boswelvia serrata*, Roxb.), sissoo (*Dalbergia sissoo*), sitaphal (*Dalbergia sissoo*), tendu (*Diospyros melanoxylon*, Roxb.), tiwasa (tinsa) (*Ougeinia oojeinensis*), etc. and the major shrubs found in the protected area includes kuda (*Ischaemum pilosum*), bahawa (*Cassia fistula*), apta (*Bauhinia racemosa*), nirgudi (*Vitex negundo*), baharati (*Gymnosporia spinosa*) and the forest consists of grasses like marvel (*Andropogon annulatus*), Gondel, Pawnya, (*Schima sulcatum*), etc;

AND WHEREAS, the major fauna recorded from the Katepurna Wildlife Sanctuary are hanuman langur (*Presbytes entells*, Dup.), jungle cat (*Felis chaus*, Guld.), panther (*Panthera pardus*), common mongoose (*Herpestes edwardsi*, Geo.), striped hynae (*Hyaena hyaena*, Linn.), wolf (*Canis lupus*, Linn.), wild boar (*Sus scrofa*), sloth bear (*Melursus urisnus*), fulvous fruit bat (*Rousettus leschenaulti*, Des.), three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum*, Linn.), Indian field mice (*Mus booduga*, Gray.), common house rat (*Rattus rattus*, Linn.), bandicoot rat (*Bandicota indica*, Bech.), Indian porcupine (*Hystrix indica*, Kerr.), rufous tailed hare (*Lepus nigricollis* Cuv.), blue bull/ nilgai (*Boselaphus tragocamelus*, Pall.), spotted deer (*Axis axis* Erx.), barking deer (*Muntiacus muntjak*, Zimm.), Indian wild boar (*Sus scrofa*, Linn.), Indian pangolin (*Manis srassicaudata*, Gray.), etc;

AND WHEREAS, major avifauna found in the Katepurna Wildlife Sanctuary are grey heron (*Ardea cinerea*), pond heron (*Ardeola grayii*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), little egret (*Egretta garzetta*), little cormorant (*Phalacrocorax niger*), open billed stork (*Anastomus oscitans*), white necked stork (*Ciconia episcopus*), black ibis (*Pseudibis papillosa*), brahmini duck (*Tadorna ferruginea*), blackwinged kite (*Elanus caeruleus*), shikra (*Accipiter badius*), grey partridge (*Francolinus pondicerianus*), common peafowl (*Pavo cristatus*), demoiselle crane (*Anthorpoides virgo*), red wattled lapwing (*Vanellus indicus*), common sandpiper (*Tringar hypoleucos*), white breasted water hen (*Amanrornis phoenicurus*), black-winged stilt (*Himantopus himantopus*), blue rock pigeon (*Columba livia*), Indian ring dove (*Streptopelia decaocto*), red turtle dove (*Streptopelia*), spotted dove (*Streptopelia chinensis*), green pigeon (*Treron phoenicoptera*), alexandrine parakeet (*Psittacula eupatria*), rose-ringed parakeet (*Psittacula krameri*), blossom-headed parakeet (*Psittacula cyanocephala*), brain fever bird (*Cuculus various*), crow-pheasant (*Centropus sinensis*), pied kingfisher (*Ceryle rudis*), white-breasted kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), small blue kingfisher (*Halcyon atthis*), small green bee-eater (*Merops orientalis*), chestnut headed bee-eater (*Perops leschanawli*), Indian roller (*Coracias benghalensis*), hoopoe (*Upupa epops*), Indian nightjar (*Caprimulgus asiaticus*), common grey hornbill (*Tockus birostris*), coppersmith barbet (*Megalaima haemacephala*), golden-backed woodpecker (*Dinopium benghalense*), yellow-fronted pied woodpecker (*Picoides mahrattensis*), pigmy woodpecker (*Picoides nanus*), red-winged bush lark (*Mirafra erythroptera*), creasted lark (*Galerida cristata*), rufoustailed finch lark (*Ammomanes phoenicurus*), wiretailed swallow (*Hirundo smithii*), gray shrike (*Lanius excubitor*), bay-backed shrike (*Lanius vitatus*), rufous-backed shrike (*Lanius schach*), black drango (*Dicrurus adsimilis*), black-headed myna (*Sturnus pagodarim*), pied myna (*Sturnus contra*), Indian myna (*Acridotheres*), Indian tree pie (*Dendrocitta vagabunds*), lora (*Aegithina tiphia*), red-vented bulbul (*Pycnontous cafer*), magpie robin (*Copsychus saularis*), Indian robin (*Saxicoloides fulicata*), black redstart (*Phoenicurus*), brown rock chat (*Cersomela fusca*), jungle babbler (*Turdoides striatus*), paradise flycatcher (*Terpsiphone paradise*), white-spotted fantail flycatcher (*Phipidura albicollis*), tailor bird (*Orthotomus sutorius*), dull-green leaf warbler (*Phylloscopus trochiloides*), thick-billed warbler (*Acrocephalus aedon*), yellow-headed wagtail (*Motacilla citerola*), pied wagtail (*Motacilla cinerea*), white or pied wagtail (*Motacilla alba dukhunensis*), yellow wagtail (*Motacilla flava*), purple-rumped sunbird (*Nectarinia zeylonica*), purple sunbird (*Nectarinia asiatica*), white throated munia (*Lonchura malabarica*), black-headed bunting (*Emberiza melonocephala*), spotted owlet (*Athene brama*), scarlet minivet (*Pericrocotus flammeus*), etc;

AND WHEREAS, the species of butterflies and spiders available in the Sanctuary are spot swordtail (*Pathysa nomius*), crimson rose (*Tros hector*), common rose (*Tros aristolochiae*), blue mormon (*Papilio polymnestor*), common mormon (*Papilio polytes*), the lime butterfly (*Papilio demoleus*), common mime (*Chilasa clytia*), common jezebel (*Delias eucharis*), the pioneer (*Anaphaeis aurota*), white orange tip (*Ixias marianne*), yellow orange tip (*Ixias pyrena*), great orange tip (*Hebomoia glaucippe*), common gull (*Cepora nerissa*), common emigrant (*Catopsilia crocale*), mottled emigrant (*Catopsilia pyranthe*), spotless grass yellow (*Terias laeta*), common grass yellow (*Terias hecabe*), common acacia blue (*Surendra quercetorum*), common Indian red flash (*Rapala melampus*), the common pierrot (*Castalius rosimon*), gram blue (*Euchrysops cnejus*), common cerulean (*Jamides celeno*), grass jewel (*Freyeria trochilus*), common hedge blue (*Acetolepis puspa*), the common bush brown (*Mycalesis perseus*), dark band bush brown (*Mycalesis mineus*), common fivering (*Ypthima baldus*), nigger (*Orsotrioena medus*), tawny rajah (*Charaxes polyxena*), black rajah (*Charaxes fabius*), baronet (*Euthalia nais*), the commander (*Modusa procris*), the great eggfly (*Hypolimnas bolina*), danaid eggfly (*Hypolimnas misippus*), the yellow pansy (*Percis hierta*), gray pansy (*Percis atlites*), angled castor (*Ergolis ariadne*), tawny coster (*Telchinia violae*), plain tiger (*Danaus Chrysippus*), the common crow (*Euploea core*), common banded awl (*Hasora alexis*), common awl (*Hasora badra*), dark palm dart (*Astychus pythias*), grass demon (*Udaspes folus*), the Indian skipper (*Spialia galba*), common redeye (*Matapa aria*), common dartlet (*Oriens goloides*), blank swift (*Caloris kumara*), wall orb (*Araneus bilunifer*), leaf retreat orb (*Neoscona rumfi*), gaint wood spider (*Nephila maculata*), black wood spider (*Nephila kuhlii*), yellow club (*Chiracanthium melanostoma*), ashy social spider (*Stegodyphus sarasinorum*), funnel wolf (*Hippasa agelenoides*), tunnel wolf (*Lycosa indagatrix*), zebra jumper (*Plexippus paykulli*), long-legged straw (*Eucta javana*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the Katepurna Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.05 kilometre to 6.30 kilometres around the boundary of Katepurna Wildlife Sanctuary, in Akola and Washim districts in the State of Maharashtra as the Katepurna Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1), The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.05 kilometre to 6.30 kilometres around the boundary of Katepurna Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone shall be 54.68 square kilometres.

The Minimum extent of Eco-sensitive Zone shall be 0.05 kilometre in the private land which adjoins the boundary of the Sanctuary and where there is a wall and the bank of the Katepurna dam on the northern side of Katepurna Wildlife Sanctuary, Akola – Mangrulpir and Devdari - Dhanora road on the Western side of the boundary of Katepurna Wildlife Sanctuary, and boundary of Pur village on the South-Eastern side of the Katepurna Wildlife Sanctuary.

- (2) The boundary description of Katepurna Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Katepurna Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC and Annexure-IID**.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Katepurna Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure III**.
- (5) The list of villages and their legal status falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo-coordinates at prominent points is appended as **Annexure-IVA and Annexure-IVB**.

- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and
 - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent

authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as -

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.**- Bio-medical waste management shall be as under:-
- (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;
- (b) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	New wood based industry.	Prohibited.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated, for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Wind mills and turbines.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing premises of new hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

Sl.No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Akola	Chairman, ex officio;
(ii)	Representative of District Collector, Washim	Member;
(iii)	Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Akola and Washim	Member;
(iv)	A representative of non-Governmental organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra.	Member;
(v)	One expert in ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
(vi)	One expert in biodiversity to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(viii)	Town Planning officer, Akola and Washim	Member;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Akola Forest Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.– The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.– The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or Hon'ble High Court or the Hon'ble National Green Tribunal.

[F. No. 25/36/2017-ESZ]

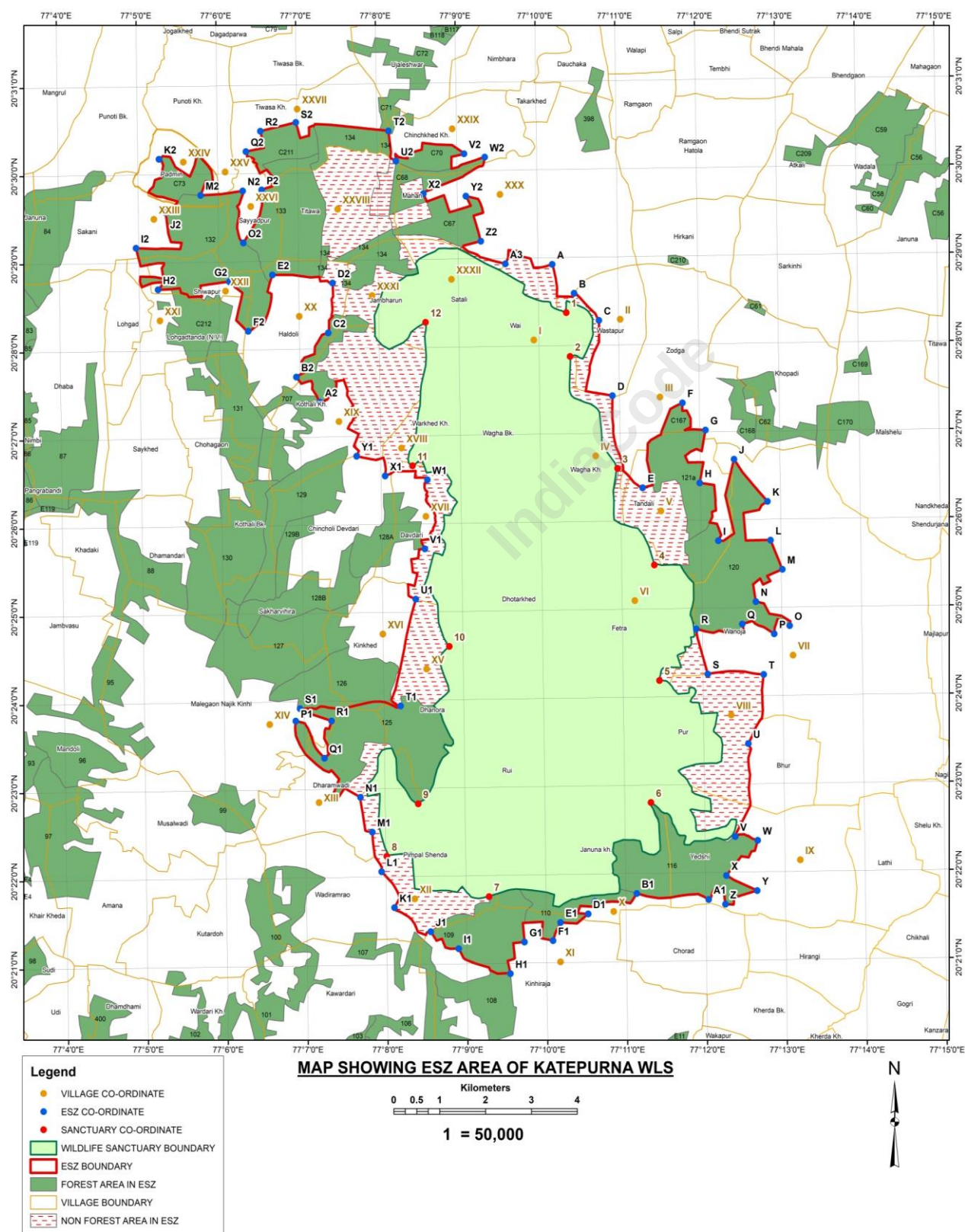
Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KATEPURNA WILDLIFE
SANCTUARY IN THE STATE MAHARASHTRA**

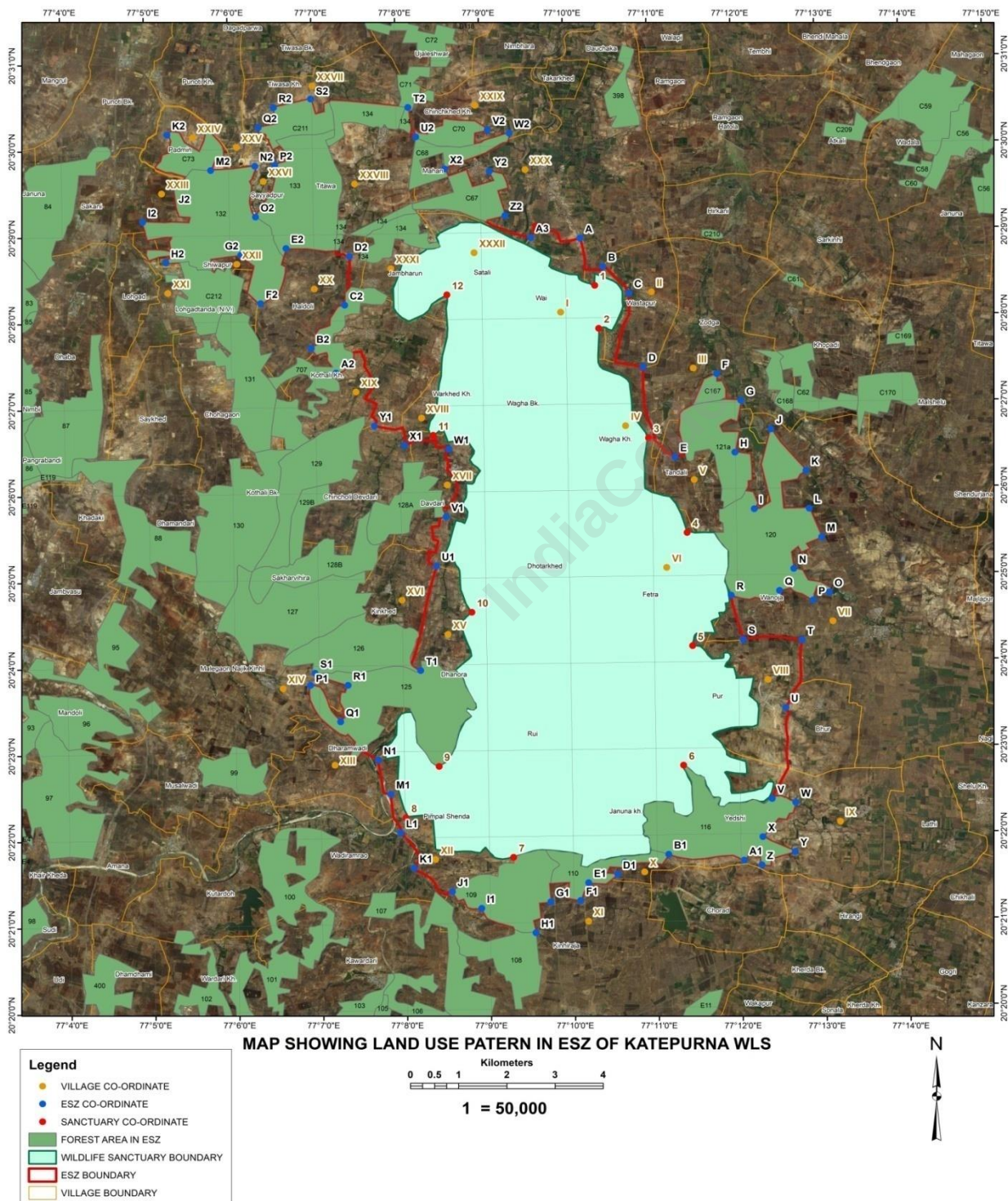
Direction	Boundary description
North	Akola Forest Division – 50 to 2700 Mtrs Forest & Non Forest Area Along Wastapur approach road, Katepurna reservoir Dam line, boundary of Compt No. 134.
East	Akola Forest Division – 50 to 2200 Mtrs Forest & Non Forest Area Eastern side of S.No: 43,23,24,47,35,36 of Wastapur village S.No: 9 of Wai village. Along Mahan to Shelu road, boundary of Compt No 120, Eastern side village boundary of village Pur, Eastern side of S.No: 19 of Yedashi village.
South	Akola Forest Division – 125 to 1900 Mtrs Forest & Non Forest Area Boundary of Compt No. 116,110,109, along Jogaldary to Pimpalshenda road & along Pimpalshenda Nalah.
West	Akola Forest Division – 110 to 6300 Mtrs Forest & Non Forest Area Along Katepurna river, boundary of Compt No. 125, along Deodari Nalah, along Deodari-Varkhed-Kothali – Haldoli-Sakani Road.

ANNEXURE- IIA

**MAP SHOWING FOREST AND NON FOREST AREA OF KATEPURNA WILDLIFE
SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE
OF PROMINENT LOCATIONS**

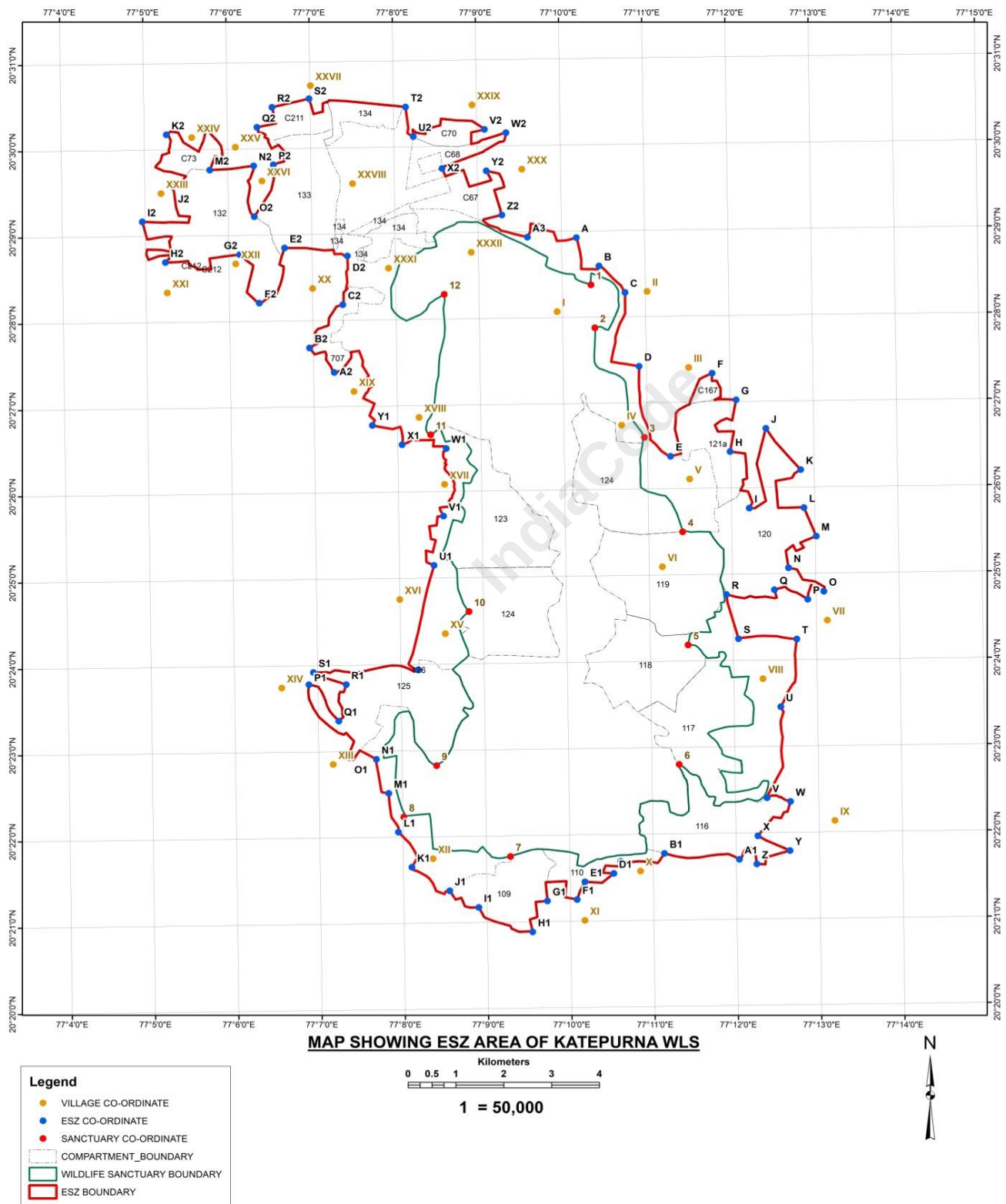


**LAND USE MAP OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IID**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY

Node Point	Longitude	Latitude
1	77° 10' 20.8"	20° 28' 22.6"
2	77° 10' 23.2"	20° 27' 52.7"
3	77° 10' 57.8"	20° 26' 36.0"
4	77° 11' 24.5"	20° 25' 30.0"
5	77° 11' 27.3"	20° 24' 11.3"
6	77° 11' 19.7"	20° 22' 48.3"
7	77° 09' 17.3"	20° 21' 45.8"
8	77° 08' 00.8"	20° 22' 14.1"
9	77° 08' 24.9"	20° 22' 49.6"
10	77° 08' 49.7"	20° 24' 36.5"
11	77° 08' 23.7"	20° 26' 39.7"
12	77° 08' 34.9"	20° 28' 17.3"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

NODE POINT	LONGITUDE	LATITUDE
A	77°10' 10.7"	20° 28' 55.5"
B	77° 10' 26.8"	20° 28' 35.7"
C	77° 10' 45.3"	20° 28' 17.0"
D	77° 10' 54.7"	20° 27' 25.6"
E	77° 11' 16.5"	20° 26' 22.6"
F	77° 11' 47.2"	20° 27' 20.1"
G	77° 12' 04.2"	20° 27' 01.3"
H	77° 11' 59.4"	20° 26' 25.4"
I	77° 12' 12.8"	20° 25' 45.9"
J	77° 12' 25.5"	20° 26' 41.2"
K	77° 12' 50.2"	20° 26' 12.2"
L	77° 12' 52.1"	20° 25' 45.7"
M	77° 13' 00.7"	20° 25' 25.8"
N	77° 12' 40.4"	20° 25' 04.1"
O	77° 13' 05.6"	20° 24' 47.4"
P	77° 12' 53.9"	20° 24' 42.0"
Q	77° 12' 30.1"	20° 24' 48.9"
R	77° 11' 55.4"	20° 24' 46.0"

S	77° 12' 03.6"	20° 24' 15.2"
T	77° 12' 45.6"	20° 24' 14.4"
U	77° 12' 33.4"	20° 23' 27.5"
V	77° 12' 22.7"	20° 22' 24.3"
W	77° 12' 39.5"	20° 22' 21.5"
X	77° 12' 15.7"	20° 21' 57.9"
Y	77° 12' 38.7"	20° 21' 47.4"
Z	77° 12' 14.7"	20° 21' 38.3"
A1	77° 12' 02.1"	20° 21' 41.7"
B1	77° 11' 08.2"	20° 21' 46.5"
C1	77° 10' 36.7"	20° 21' 41.4"
D1	77° 10' 31.6"	20° 21' 33.1"
E1	77° 10' 10.7"	20° 21' 27.4"
F1	77° 10' 04.9"	20° 21' 15.2"
G1	77° 09' 43.5"	20° 21' 14.5"
H1	77° 09' 32.6"	20° 20' 53.1"
I1	77° 08' 53.9"	20° 21' 10.6"
J1	77° 08' 33.1"	20° 21' 22.4"
K1	77° 08' 06.1"	20° 21' 39.1"
L1	77° 07' 56.7"	20° 22' 03.7"
M1	77° 07' 50.1"	20° 22' 30.7"
N1	77° 07' 41.5"	20° 22' 54.5"
O1	77° 07' 21.9"	20° 22' 55.8"
P1	77° 06' 53.6"	20° 23' 47.0"
Q1	77° 07' 14.8"	20° 23' 21.4"
R1	77° 07' 20.5"	20° 23' 46.8"
S1	77° 06' 57.0"	20° 23' 55.4"
T1	77° 08' 12.5"	20° 23' 56.4"
U1	77° 08' 24.9"	20° 25' 08.9"
V1	77° 08' 32.3"	20° 25' 43.1"
W1	77° 08' 34.8"	20° 26' 30.0"
X1	77° 08' 03.1"	20° 26' 33.1"
Y1	77° 07' 41.8"	20° 26' 46.8"
Z1	77° 07' 36.0"	20° 27' 17.4"
A2	77° 07' 14.9"	20° 27' 23.9"
B2	77° 06' 57.2"	20° 27' 41.2"
C2	77° 07' 21.6"	20° 28' 10.9"

D2	77° 07' 25.4"	20° 28' 44.9"
E2	77° 06' 40.2"	20° 28' 50.9"
F2	77° 06' 21.4"	20° 28' 12.8"
G2	77° 06' 07.7"	20° 28' 46.7"
H2	77° 05' 14.1"	20° 28' 41.8"
I2	77° 04' 57.8"	20° 29' 10.3"
J2	77° 05' 20.2"	20° 29' 34.3"
K2	77° 05' 16.0"	20° 30' 10.7"
L2	77° 05' 44.6"	20° 30' 14.4"
M2	77° 05' 46.9"	20° 29' 45.7"
N2	77° 06' 18.6"	20° 29' 48.3"
O2	77° 06' 18.6"	20° 29' 13.0"
P2	77° 06' 32.9"	20° 29' 48.9"
Q2	77° 06' 21.4"	20° 30' 15.1"
R2	77° 06' 32.5"	20° 30' 28.9"
S2	77° 06' 59.2"	20° 30' 34.6"
T2	77° 08' 08.7"	20° 30' 27.9"
U2	77° 08' 14.1"	20° 30' 07.4"
V2	77° 09' 05.4"	20° 30' 11.7"
W2	77° 09' 21.0"	20° 30' 09.2"
X2	77° 08' 34.5"	20° 29' 44.9"
Y2	77° 09' 06.4"	20° 29' 42.8"
Z2	77° 09' 17.2"	20° 29' 12.0"
A3	77° 09' 35.4"	20° 28' 56.3"

ANNEXURE-IVA**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KATEPURNA WILDLIFE
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Name of Village	Tahasil	District	Node Point	Longitude	Latitude
1	Wai	Barshitakali	Akola	I	77° 09' 56.2"	20° 28' 04.2"
2	Wastapur	Barshitakali	Akola	II	77° 11' 01.2"	20° 28' 17.5"
3	Zodga	Barshitakali	Akola	III	77° 11' 30.4"	20° 27' 24.3"
4	Wagha kh.	Barshitakali	Akola	IV	77° 10' 41.5"	20° 26' 44.7"
5	Tandali	Mangrulpur	Washim	V	77° 11' 30.0"	20° 26' 06.7"
6	Fetra	Barshitakali	Akola	VI	77° 11' 09.6"	20° 25' 05.9"

7	Wanoja	Mangrulpir	Washim	VII	77° 13' 07.9"	20° 24' 27.3"
8	Pur	Mangrulpir	Washim	VIII	77° 12' 20.9"	20° 23' 47.1"
9	Yedshi	Mangrulpir	Washim	IX	77° 13' 11.4"	20° 22' 08.0"
10	Januna Kh	Mangrulpir	Washim	X	77° 10' 50.8"	20° 21' 34.5"
11	Kinhiraja	Malegaon	Washim	XI	77° 10' 10.3"	20° 21' 00.7"
12	Pimpalshenda	Malegaon	Washim	XII	77° 08' 21.4"	20° 21' 44.9"
13	Dharamwadi	Malegaon	Washim	XIII	77° 07' 10.4"	20° 22' 51.3"
14	Malegaon NajikKinhi	Malegaon	Washim	XIV	77° 06' 34.0"	20° 23' 44.9"
15	Dhanora	Barshitakali	Akola	XV	77° 08' 32.4"	20° 24' 21.3"
16	Kinkhed	Barshitakali	Akola	XVI	77° 07' 59.9"	20° 24' 45.4"
17	Devdari	Barshitakali	Akola	XVII	77° 08' 33.3"	20° 26' 05.1"
18	Warkhed kh	Barshitakali	Akola	XVIII	77° 08' 15.6"	20° 26' 51.9"
19	Kothali kh	Barshitakali	Akola	XIX	77° 07' 28.9"	20° 27' 10.5"
20	Haldoli	Barshitakali	Akola	XX	77° 07' 00.0"	20° 28' 22.5"
21	Lohgadh N.V.	Barshitakali	Akola	XXI	77° 05' 15.2"	20° 28' 20.7"
22	Shiwapur	Barshitakali	Akola	XXII	77° 06' 04.8"	20° 28' 40.3"
23	Sakni	Barshitakali	Akola	XXIII	77° 05' 11.6"	20° 29' 29.8"
24	Padmin	Barshitakali	Akola	XXIV	77° 05' 34.3"	20° 30' 08.6"
25	Punoti kh.	Barshitakali	Akola	XXV	77° 06' 05.6"	20° 30' 01.5"
26	Sayyadpur	Barshitakali	Akola	XXVI	77° 06' 24.5"	20° 29' 37.7"
27	Tiwasakh.	Barshitakali	Akola	XXVII	77° 07' 00.3"	20° 30' 43.6"
28	Titwa	Barshitakali	Akola	XXVIII	77° 07' 29.9"	20° 29' 35.1"
29	Chinchkhed kh	Barshitakali	Akola	XXIX	77° 08' 56.8"	20° 30' 28.8"
30	Mahan	Barshitakali	Akola	XXX	77° 09' 32.0"	20° 29' 43.7"
31	Jambharun	Barshitakali	Akola	XXXI	77° 07' 55.0"	20° 28' 36.0"
32	Satali	Barshitakali	Akola	XXXII	77° 08' 54.8"	20° 28' 46.3"

ANNEXURE-IVB

**LEGAL STATUS OF THE VILLAGES LISTED UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF
KATEPURNA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl.No.	Name of Village	Taluka	District	Area in ha.			Name of Range
				Forest (Reserve forest)	Non forest	Total Area	
1	Januna Kh.	Mangrulpir	Washim	257.64	0.00	257.64	Karanja
2	Kinhiraja	Malegaon	Washim	207.22	0.00	207.22	Malegaon
3	Kinkhed	Barshitakali	Akola	9.04	0.00	9.04	Barshitakali
4	Kothali Kh	Barshitakali	Akola	49.87	364.01	413.88	Barshitakali
5	Mahan	Barshitakali	Akola	152.56	59.32	211.88	Barshitakali
6	Malegaon Najik Kinni	Malegaon	Washim	32.86	0.00	32.86	Malegaon
7	Chinchkhed kh.	Barshitakali	Akola	79.35	0.00	79.35	Barshitakali
8	Dharamwadi	Malegaon	Washim	153.15	41.22	194.37	Malegaon
9	Haldoli	Barshitakali	Akola	118.54	40.36	158.90	Barshitakali
10	Jambhrun	Barshitakali	Akola	89.07	82.29	171.36	Barshitakali
11	Lohgadhi N.V.	Barshitakali	Akola	19.01	0.00	19.01	Barshitakali
12	Padmini	Barshitakali	Akola	107.32	0.00	107.32	Barshitakali
13	Pimpalshenda	Malegaon	Washim	53.15	196.82	249.97	Malegaon
14	Punoti Kh.	Barshitakali	Akola	3.40	0.00	3.40	Barshitakali
15	Sakni	Barshitakali	Akola	119.05	0.00	119.05	Barshitakali
16	Sayyadpur	Barshitakali	Akola	159.82	0.00	159.82	Barshitakali
17	Shiwapur	Barshitakali	Akola	122.65	0.00	122.65	Barshitakali
18	Tandali	Mangrulpir	Washim	268.60	179.26	447.86	Karanja
19	Titwa	Barshitakali	Akola	215.87	307.32	523.19	Barshitakali
20	Tiwasa Kh.	Barshitakali	Akola	193.08	0.00	193.08	Barshitakali
21	Wanoja	Mangrulpir	Washim	321.41	38.13	359.54	Karanja
22	Yedshi	Mangrulpir	Washim	200.11	63.08	263.19	Karanja
23	Zodga	Barshitakali	Akola	39.93	4.95	44.88	Barshitakali
24	Dhanora	Barshitakali	Akola	168.87	178.65	347.52	Barshitakali
25	Devdari	Barshitakali	Akola	0.00	119.61	119.61	Barshitakali
26	Fetra	Barshitakali	Akola	0.00	24.44	24.44	Barshitakali
27	Pur	Mangrulpir	Washim	0.00	311.99	311.99	Karanja
28	Satai	Barshitakali	Akola	0.00	54.49	54.49	Barshitakali
29	Wagha kh	Barshitakali	Akola	0.00	75.34	75.34	Barshitakali
30	Wai	Barshitakali	Akola	0.00	84.71	84.71	Barshitakali
31	Warkhed Kh.	Barshitakali	Akola	0.00	61.14	61.14	Barshitakali
32	Wastapur	Barshitakali	Akola	0.00	39.66	39.66	Barshitakali
TOTAL				3141.57	2326.79	5468.36	

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode